No. 13

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर
89/2015

धारा 6ए प्रकरण सं0 89/2015 स्टेट बनाम 1–मांगीलाल पुत्र फूसाराम, वाहन चालक जाति जाट निवासी 15 एसजीआर, सूरतगढ़ 2–धर्मपाल पुत्र लाधुराम वाहन मालिक जाति कुम्हार निवासी 15 एसजीआर, सूरतगढ़

06.12.2016

1– **अप्रार्थीगण** के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में दिनांक 29.11.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

2– **अप्रार्थीगण** के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास का कथन था कि वाहन टाटा एस आरजे 13 जीबी 1082 में तीन व्यक्ति मांगीलाल पुत्र फूसाराम, बलराम पुत्र श्योपतराम व मोहन लाल पुत्र इमीचन्द बैठे थे जिन्होने बिलो के आधार पर 1100 लीटर डीजल खरीद कर उक्त वाहन में परिवहन किया जा रहा था न कि 1180 लीटर। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जो बिल बताये गये है वह डीजल परिवहन करते वक्त नही है बल्कि उसी रोज अप्रार्थी द्वारा मोहनलाल व श्योपतराम के साथ लाते वक्त के है जो अप्रार्थी मांगीलाल की जेब में थे। जिन्हें प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दर्शाया गया है बल्कि उस समय लाये गये डीजल के बिल भी प्रवर्तन अधिकारी को दिखाये गये थे किन्तु प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जानबूझकर बिल नही लिये गये। इन बिलों को वापिस लौटाकर गलत मुकदमा बनाया गया है। मौका पर बिलशुदा व्यक्ति स्वयं उक्त वाहन में थे। अप्रार्थी व उसके सहयोंगियों के पास बिल न0 32794, 72795, 32796 थे जो क्रमशः 300, 400 व 400 कुल 1100 लीटर डीजल के थे। बिल सं0 32730 व 32732 का घटना से उक्त अप्रार्थीगण का इनसे कोई लेना देना नही था। इसलिए उनके विरूद्ध यह झूठा मुकदमा बनाया गया है।

3– **उनका आगे यह भी कथन** था कि अप्रार्थीगण धर्मपाल, मोहनलाल व श्योपत राम संयुक्त रूप से चक 15 एसजीआर में काश्त करने के लिए भूमि ली गई है वहां पर टयूबवैल संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है जिसके लिए ट्रेक्टर व ईंजन में डीजल की आवश्यकता रहती है। इसलिए अप्राथी मांगीलाल द्वारा, धर्मपाल का ड्राईवर होने के नाते व बलराम द्वारा श्योपतराम का पुत्र होने के नाते व मोहन द्वारा स्वयं वाहन में बैठकर नियमानुसार बिल द्वारा डीजल खरीदकर लाया जा रहा था। इसलिए प्रत्येक अप्रार्थीगण के पास 1000लीटर से कम डीजल है। इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

4– उनके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2016(1) कि. लॉ. रि. (राजस्थान) शीर्षक कर्मजीत बनाम राज0 राज्य का उद्धरण देते हुए कथन किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** जो कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है एवं राजस्थान सरकार द्वारा भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** का जारी किया गया है, के संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा यह माना है कि एक ही विषय पर राज्य अधिनियम के उपर केन्द्रीय अधिनियम अधिभावी होगा और साथ ही यह विनिश्चय पारित किया है कि वाहन में 1000लीटर से अधिक मात्रा में डीजल परिवहन कर ले जाने से यह नही माना जा सकता कि वाहन डीजल के भण्डारण हेतु प्रयोग हुआ है। 1999 के उक्त आदेश के तहत कोई भी **CUSTOMER** 2500 लीटर

मात्रा डीजल रिटेल में कय कर सकता है जबकि अप्रार्थीगण के पास केवल 1100 लीटर डीजल कयशुदा था जो 1999 के आदेश के अनुसार निर्धारित मात्रा से कम था और 1990 का राज्य सरकार का आदेश, उक्त केन्द्रीय आदेशो के कारण प्रभावहीन था और उक्त केन्द्रीय आदेशो के तहत प्रवर्तन अधिकारी को जब्ती की कार्यवाही करने का अधिकार नही था। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर जब्त शुदा डीजल एवं वाहन वापिस लौटाये जावें।

5– **इसके विपरीत विभागीय** प्रतिनिधि का कथन था कि दिनांक 14.10.2015 को प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अवैद्य रूप से हो रही डीजल की तस्करी को रोकने के लिए सूरतगढ़ रोड पर श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ जाते हुए टाटा एस वाहन संख्या संख्या **आरजे 13 जीबी 1082 को जांच के लिए रूकवाया** और वाहन चालक से पूछने पर उसने अपना नाम मांगीलाल पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी 15 एसजीआर होना बताया एवं वाहन के पीछे रखे ड्रमो में डीजल होना बताया। वाहन के पीछे प्लास्टिक के पांच ड्रम व एक प्लास्टिक की कैनी रखी मिली। वाहन चालक से बिल मांगने पर उसके द्वारा बिल संख्या 32730 दिनांक 14.10.15 मात्रा 280 लीटर तथा बिल संख्या 32732 दिनांक 14.10.15 मात्रा 225 लीटर के दिखाये जो क्रमशः श्योपतराम व मोहनलाल के नाम से कटे हुए थे। वाहन में चालक के अतिरिक्त दो ओर व्यक्ति उपस्थित मिले जिनके द्वारा स्वयं को बलराम पुत्र श्योपतराम व मोहनलाल पुत्र [illegible] होना बताया। वाहन में 5 प्लास्टिक ड्रम व कैनी में रखे **डीजल का भोतिक सत्यापन करने पर** एक प्लास्टिक ड्रम में 260 लीटर डीजल व चार प्लास्टिक ड्रमो में से एक में 225 लीटर डीजल व शेष तीन ड्रमों में 215–215 लीटर डीजल व प्लास्टिक केनी में 50 लीटर इस प्रकार **कुल 1180 लीटर डीजल** पाया गया जिसे वाहन चालक व अन्य दोनो व्यक्तियों द्वारा वाहन में रखा **पदार्थ डीजल होना स्वीकार** किया व डीजल की मात्रा भी उक्तानुसार होनी स्वीकारी। वाहन तलाशी में वाहन की आर.सी. व वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेंन्स पाया गया और इसके साथ ही तीन और डीजल के बिल क्रमशः बिल संख्या 21159 दिनांक 08.10.15 लादूराम 240 लीटर, 21160 दिनांक 08.10.2015 ओम सहारण 240 लीटर के मैसर्स जैन हाईवे रिसोर्ट गांव [illegible] जिला फिरोजपुर व बिल सं0 85046 दिनांक 08.10.15 मांगीलाल 233 लीटर डीजल मैसर्स बालाजी एचपी पेट्रो सिटी गांव गुमजाल अबोहर के कटे हुए मिले। वाहन में कुल 1180 लीटर डीजल मौजूद मिला है जबकि दिनांक 14.10.2015 के केवल दो बिल क्रमशः 280 व 225 लीटर कुल 550 लीटर डीजल के मिले। इस प्रकार वाहन में 1180 लीटर डीजल राज0 सरकार के राज0 पेट्रोलियम प्रोडकटस (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) आदेश 1990 के तहत निर्धारित डीजल क्षमता 1000 लीटर से ज्यादा रखा मिला, जो 1990 के आदेश क्लॉज 15 की तथा उसके तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 की अवहेलना है और **वाहन में रखे पूर्व दिनांको के बिलों से यह स्पष्ट होता है कि वाहन चालक द्वारा डीजल तस्करी का अवैद्य व्यापार नियमित रूप से किया जाता है तथा दौराने जांच उसके द्वारा पूछने पर बताया गया कि पंजाब में डीजल की दर 45.82 रूपये प्रति लीटर तथा सूरतगढ में 51.20 रूपये प्रति लीटर डीजल है।**

जांच में मांगीलाल के पास डीजल भण्डार व परिवहन संबंधी कोई वैद्य कागजात नही पाये गये। उक्त आदेश की अवहेलना के कारण 1180 लीटर डीजल

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

89/2015

मय पांच प्लास्टिक ड्रम, एक प्लास्टिक कैनी व वाहन टाटा एस **आरजे 13 जीबी** 1082 को जब्त करके मैसर्स किरण फिलिंग स्टेशन 4 एमएल नाथावाली सूरतगढ के मैनेजर मुकेश कुमार की सुपुर्दगी में सुपुर्दगमीनामा पर हस्ताक्षर लेकर दिया गया। इस प्रकार मांगीलाल द्वारा डीजल का अवैद्य भण्डारण व तस्करी करके राज0 सरकार के राज0 पेट्रोलियम प्रॉडक्टस (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) आदेश 1990 के क्लाज 15 की स्पष्ट अवहेलना की है। इसलिए **जब्त शुदा 1180 लीटर डीजल मय पांच प्लास्टिक ड्रम, एक प्लास्टिक केनी एवं वाहन टाटा एस आरजे 13 जीबी 1082** को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जावे।

3— उनका कथन था कि चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है जबकि **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है। **उक्त तीनो आदेशो का उदेश्य और कार्यक्षेत्र अलग—2 है।** राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त 1990 के आदेश को न तो राज्य सरकार द्वारा रद किया गया है और न ही केन्द्र सरकार द्वारा रद किया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआरएलआर (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के पैरा 13 के अनुसार कोई भी न्यायालय या अथोरिटी वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानूनी प्रावधानो के विपरीत कोई भी आदेश/निर्देश नही दे सकते है। चूंकि 1990 का उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है।** इसलिए माननीय राज0 उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2016(1) कि. लॉ. रि. (राजस्थान) पृष्ट 506 **करमजीतसिंह बनाम राजस्थान राज्य** का **अप्रार्थी लाभ लेने का हकदार नही ठहरता है।** माननीय राज0 उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त एस.बी. क्रिमी. रिवीनज पेटी. न0 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) में पारित निर्णय के अनुसार राज्य सरकार के उक्त **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत पारित आदेश अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को विधि सम्मत माना है। इसलिए अप्रार्थी माननीय उच्चतम न्यायालय के **माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआरएलआर (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के प्रकाश में व राज0 उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय 06.12.2012 के अनुसार भी कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नही ठहरता है।**

4— उनका आगे यह भी कथन था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340** के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माना राशि अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन सौंपा जा सकता है। अतः वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

5— **मैने दोनो** पक्षो के उक्त तर्को पर मनन किया और दोनो पक्षो द्वारा न्यायिक दृष्टान्तो का भी ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि इस मामले में दिनांक 14.10.2015 को प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अवैद्य रूप से हो रही डीजल

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

89/2015

तस्करी को रोकने के लिए गंगानगर—सूरतगढ रोड़ पर एक टाटा एस वाहन आरजे 13 जीबी 1082 को रोककर जांच की गई तो वाहन चालक ने अपना नाम मांगीलाल साकिन 15 एसजीआर बताया और वाहन के पीछे पड़े ड्रमो में डीजल होना स्वीकार किया। वाहन में पीछे 5 प्लास्टिक के ड्रम व एक प्लास्टिक की केनी रखी मिली तथा वाहन चालक द्वारा बिल सं0 32730 दिनांक 14.10.15 मात्रा 280 लीटर व बिल सं. 32732 दिनांक 14.10.15 मात्रा 225 लीटर कुल 505 लीटर के दिखाये है जो क्रमशः श्योपतराम व मोहन लाल के नाम से कटे हुए थे। वाहन दो ओर व्यक्ति उपस्थित मिले जिन्होने अपना नाम बलराम पुत्र श्योपतराम व मोहनलाल पुत्र ईमीचंद बताया। जबकि भौतिक सत्यापन करने पर कुल 1180 लीटर डीजल पाया गया है तथा दौराने जांच वाहन चालक व अन्य दोनो व्यक्तियों ने भी वाहन में रखा पदार्थ डीजल होना स्वीकार किया।

और दिनांक 14.10.15 को जांच के समय तलाशर में क्रमशः बिल सं0 21159 दिनांक 08.10.15 लादूराम 240 लीटर, 21160 दिनांक 08.10.15 ओमप्रकाश सहारण 240 लीटर के मैसर्स जैन हाईवे रिसोर्ट गांव गुमजाल जिला फिरोजपुर पंजाब व बिल सं0 85046 दिनांक 08.10.15 मांगीलाल 233 लीटर डीजल मै0 बालाजी एचपी पेट्रो सिटी गांव गुमजाल अबोहर के कटे हुए मिले, जबकि वाहन में दिनांक 14.10.15 को 1180 लीटर डीजल मिला और इसके साथ दो बिल 280 लीटर व 225 लीटर कुल 505 लीटर डीजल के मिले। इस प्रकार इसके साथ ही वाहन में रखे पूर्व दिनांक 08.10.15 के उक्त बिल यह स्पष्ट करते है कि अप्रार्थीगण मांगीलाल चालक व धर्मपाल वाहन स्वामी डीजल का अवैद्य कारोबार करते है। चूंकि अप्रार्थीगण के पास उक्त 1180 लीटर डीजल परिवहन करने के लिए कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नही था। इस प्रकार राजस्थान पेट्रोलियम प्रॉडक्टस (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) आदेश 1990 की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 के अनुसार 1000लीटर से अधिक 1180 लीटर डीजल रखकर अप्रार्थीगण ने उक्त आदेशो की अवहेलना की है। इसलिए डीजल व वाहन को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

3— **चूंकि फर्द** जब्ती के अनुसार दिनांक 14.10.2015 को उक्त वाहन संख्या आरजे 13जीबी 1082 में 1180 लीटर डीजल परिवहन करते हुए वाहन चालक मांगीलाल के कब्जे से जब्त किया गया है और फर्द जब्ती पर मांगीलाल के साथ बलराम व मोहनलाल के हस्ताक्षर भी मौजूद है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11—4—2005 के अनुसार कोई व्यक्ति अपने कब्जे में वाहन की टंकी में उपलब्ध डीजल को सम्मिलित करते हुए 1000 लीटर से अधिक डीजल नही रख सकता हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना 11—4—2005 निम्न प्रकार से है:—

<u>जयपुर, अप्रेल 11, 2005</u>

राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.17(24)खा.वि./विधि/90 दिनांक 16—10—2004 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार,, अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (लाईसेन्सड डीलर) से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में अपने कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर नियत करती है। इस मात्रा में वाहन के सर्विस टेंक में उपलब्ध डीजल की मात्रा भी सम्मिलित होगी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर 89/2015

10– आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि उनके द्धारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

11– **अप्रार्थीगण के अभिभाषक** ने अपनी ओर से जबाब के साथ तीन बिल सं0 32794, 32795, 32796 दिनांक 14.10.15 क्रमशः शोपतराम 300लटर, मांगीलाल 400 लीटर, मोहनलाल 400लीटर के पेश किये है और इनके आधार पर जब्त शुदा डीजल 1100 लीटर बताया है जबकि फर्द मौका जब्ती दिनांक 14.10.2015 के अनुसार अप्रार्थी मांगीलाले के कब्जे से उक्त वाहन आरजे 13जीबी 1082 में परिवहन करते हुए 5 प्लास्टिक ड्रमो एवं एक प्लास्टिक केनी में **कुल 1180 लीटर डीजल भोतिक सत्यापन करने पर जब्त किया गया है और विभागीय प्रतिनिधि के मोखिक कथनानुसार 1180 लीटर डीजल की विक्रय राशि जमा हुई है इसलिए अप्रार्थी अभिभाषक का 1100 लीटर प्रस्तुत तर्क व उक्त बिल सही प्रतीत नही होते**। वाहन चालक मांगीलाल द्वारा दिनांक 14.10.15 के दो बिल क्रमशः 280 लीटर व 225 लीटर कुल 505 लीटर के श्योपतराम व मोहनलाल के नाम के प्रस्तुत किये है व दिनांक 28.10.15 के तीन बिल क्रमशः 240, 240 व 233 लीटर डीजल के क्रमशः लादूराम, ओमप्रकाश व मांगीलाल के नाम के पाये गये है। ये सभी बिल मांगीलाल के कब्जे से लिये गये है। इन सभी बिलों पर मांगीलाल के 14.10.15 के हस्ताक्षर है। इन सभी बिलो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी मांगीलाल जो कि वाहन स्वामी धर्मपाल का वाहन चालक है और जो डीजल का अवैद्य कारोबार कर रहा है और इस अवैद्य कारोबार में वाहन स्वामी धर्मपाल का वाहन संख्या आरजे 13जीबी 1082 का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि इनके पास राजस्थान पेट्रोलियम प्रॉडक्टस (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) आदेश 1990 के तहत डीजल परिवहन करने का कोई वैद्य अनुज्ञापत्र या अन्य कोई परमिट आदि नही है।

12– अप्रार्थीगण के अभिभाषक का यह तर्क कि केन्द सरकार द्वारा **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999 के** जारी आदेश, राज्य सरकार के नियन्त्रण आदेश **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** पर प्रभावी है और केन्द्र सरकार के **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** के तहत खुदरा बेचान की सीमा 2500 लीटर तक है जबकि अप्रार्थी के पास प्रा0 पत्र के अनुसार

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

[illegible] लीटर डीजल जब्त किया गया है इस प्रकार उसके पास निर्धारित सीमा 2500 लीटर से कम डीजल है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त [illegible] कि. लॉ. रि. (राजस्थान) पृष्ट 506 करमजीतसिंह बनाम राज0 राज्य के अनुसार राजसात की कार्यवाही नही की जा सकती।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का एस.बी. क्रिमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) व माननीय उच्चतम न्यायालय का 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए कथन था कि पूर्व में दिनांक 06.12.2012 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत की कार्यवाही को सही माना है और वाहन राजसात की एवज में लगाये गये जुर्माना राशि 2,00,000रूपये को सही माना गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के अनुसार कोई भी न्यायालय या अथोरिटी या सरकार किसी भी प्रभावी कानून से बाहर जाकर कोई आदेश/निर्देश अधिनस्थ को जारी नही कर सकते। चूंकि 1990 का उक्त आदेश केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा रद नही किया गया है और आज भी प्रभावी है। इसलिए उक्त. न्यायिक दृष्टान्तो के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध 1990 के आदेश के तहत की गयी कार्यवाही सही है।

विभागीय प्रतिनिधि ने सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर के दांडिक अपील सं0 14/2016 अरविन्द स्वामी आदि बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय 21.06.2016 की प्रति पेश करके भी प्रार्थना की कि माननीय सैशन न्यायाधीश ने भी 1990 के आदेश के तहत की गयी कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के अनुसार सही माना है। इसलिए भी अप्रार्थीगण द्वारा 1990 के आदेश की अवहेलना के कारण जब्त शुदा डीजल एवं वाहन राजसात करने योग्य है।

13— **उक्त बिन्दु** पर दोनो पक्षो द्वारा दिये गये तर्को का मनन किया और पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तो का एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर के अपील सं0 14/2016 अरविन्द स्वामी आदि बनाम राज0 राज्य निर्णय दिनांक 21.06.2016 का भी **ससम्मान** अवलोकन किया तो पाया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के एक निर्णय **एस.बी. क्रिमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012** ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) के अनुसार इस न्यायालय द्वारा **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत की गई वाहन राजसात की कार्यवाही को सही माना है और संबंधित अप्रार्थी पर वाहन राजसात की एवज में लगाई गई जुर्माना राशि 2,00,000रूपये को सही माना है। चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990 का** आदेश भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति से राज0 सरकार द्वारा जारी किया गया है जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार न तो निरस्त किया गया है और न ही वापिस लिया गया है। अभी तक उक्त 1990 का आदेश प्रभावशील है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
89/2015

कि लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के पैरा 13 में निम्न अपने पूर्व निर्णय सम्मानीय न्याय दृष्टान्त ए.आई.आर. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 1099 शीर्षक मनीष गोल बनाम रोहिनी गोल का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से आदेश दिये गये है:–

> **Court has held that generally, no court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The court are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law.**

चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER,** का आदेश अभी तक प्रभावशील है जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निरस्त नही किया गया है। इसलिए **मेरे विनम्र निवेदन** में माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय **एस.बी. क्रिमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012** ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726** बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के प्रकाश में अप्रार्थीगण केन्द्र सरकार के उक्त 1999 के आदेश के तहत 2500लीटर डीजल वाहन में परिवहन करने की छुट का हकदार नही रहता है **और न ही** उक्त 1990 के तहत कानून के विपरीत वाहन में परिवहन डीजल का व्यक्तियों के आधार पर डीजल का बंटवारा कर कोई लाभ प्राप्त कर सकते है।

14– अतः **उपरोक्त** विवेचन के आधार पर अप्रार्थी मांगीलाल से जब्त शुद्धा उक्त 1180 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम एवं एक प्लास्टि केनी व वाहन संख्या 13जीबी 1082 को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय** 2009 कीएनजे (एससी) **पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय** दिनांक 6–2–2009 **के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन** की एवज में **जब्ती की दिनांक को वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता** है। चूंकि विभागीय प्रतिनिधि द्वारा जब्त शुद्धा वाहन का जब्ती दिनांक 14.10.2015 को मूल्य 1,70,000रूपये बताया गया है। इसलिए राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज में 1,50,000रूपये **(अखरे एक लाख पचास हजार मात्र) जुर्माना लगाया जाता है।** यह जुर्माना राशि राजसात किये गये डीजल की कीमत के **अतिरिक्त** है।

15– **जिला रसद** अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि जमा करवा देवे तो नियमानुसार उक्त वाहन उसे दे दिया जावे। यदि वाहन स्वामी द्वारा उक्त जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो **उक्त वाहन** को नियमानुसार **निलाम कर** प्राप्त राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर उक्त डीजल की विक्रय राशि को भी राजकोष में स्थाई रूप से जमा करवावे एवं राजसात किये गये 5 प्लास्टिक ड्रमो एवं एक प्लास्टिक केनी का भी नियमानुसार राज्यपक्ष में निस्तारण करवावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

16– **यह आदेश** आज दिनांक 06.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर